

1.21a



पतंजलि विश्वविद्यालय  
University of Patanjali

उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या 4 वर्ष 2006 के अन्तर्गत स्थापित  
Established by Uttarakhand State Legislature Under the University of Patanjali Act No. 4 Year 2006

पत्रांक (Ref.)

UOP/PVC/2022/2902

दिनांक (Date)

14/03/2022

### कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिदिन प्रातः काल योग की कक्षा तथा यज्ञ में उपस्थित होना अनिवार्य है। रीचकार अथवा अवकाश के अन्य दिनों में भी योग और यज्ञ में उपस्थित रहना आवश्यक है।

अतः सभी छात्र-छात्राएं अनिवार्य रूप से योग और यज्ञ में सम्मिलित हो अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(डॉ. महावीर अग्रवाल)

प्रति कुलपति

प्रतिनिधि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रायतः

1. निजी सचिव कुलपति, मानवीय कुलपति महादप के सार सूचनार्थ।
2. सम्न्वयक, आन्तरिक सुसज्जा आणवासन केंद्र, पतंजलि विश्वविद्यालय।
3. कुलसचिव, विनाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पतंजलि विश्वविद्यालय।
4. संकायाध्यक्ष- शिक्षण एवं शोध, पतंजलि विश्वविद्यालय।
5. डॉ। साध्वी देवप्रिया जी, कुलानुशासक, संकायाध्यक्ष-मानविकी एवं प्रायः विद्या अध्ययन, योग विज्ञान एवं विभागाध्यक्ष दर्शन विभाग, पतंजलि विश्वविद्यालय।
6. निदेशक, अभियांत्रिकी एवं सुविधा, पतंजलि विश्वविद्यालय।
7. उपकुलसचिव, पतंजलि विश्वविद्यालय।
8. स्वामी परमार्थदेव जी, सहा. कुलानुशासक, पतंजलि विश्वविद्यालय।
9. समस्त सम्बन्धित शिक्षक, योग प्राध्यापक, छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका, पर्यवेक्षक, शिक्षकत्तर कर्मचारी, सम्पूर्ण छात्र-छात्राओं को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. कार्यालय प्रति।

शिविर कार्यालय : पतंजलि योगपीठ, दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग निकट बहादुराबाद, हरिद्वार-249465, उत्तराखण्ड, भारत  
Camp Office : Patanjali Yogpeeth, Delhi-Haridwar National Highway Near Bahadurabad, Haridwar-249465, Uttarakhand, India  
(फोन) Phone : 01334-242526 (ई-मेल) E-mail : contact@uop.edu.in (वेब) Web : www.universityofpatanjali.com

